झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ।

पत्रांक–खा0आ0(राज्य सेवा)–01/2011– 3345 /

प्रेषक,

राजबाला वर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड ।

राँची, दिनांक 01-12-2011.

विषय :– झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक का अनुपालन करने के संबंध में ।

महाशय,

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक 2011, 15 नवम्बर 2011 से पूरे राज्य में लागू हो गया है एवं झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली 2011 भी अधिसूचित कर दी गई है । इस नियमावली के अधीन प्रदायी सेवाओं हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके अनुसार नये राशन कार्ड के आवेदन पर निर्णय के लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है । इस नियमावली में आवेदक द्वारा दी जानेवाली आवेदन पर अभिस्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जिसके लिये विहित प्रपत्र निर्धारित है ।

अभिस्वीकृति देने के लिये नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर अपने स्तर से अन्य पदाधिकारी प्राधिकृत करेंगे । प्राधिकृत पदाधिकारी विहित प्रपत्र में आवेदक से आवेदन प्राप्त कर समय सीमा का उल्लेख करते हुये ऐसे आवेदन पर अपनी अभिस्वीकृति देंगे ।

संबंधित सेवा से सम्बद्ध नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा अधिसूचित सेवा के लिये निर्दिष्ट पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का नाम के साथ सेवा प्रदान करने हेतु आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज, सेवा प्रदान करने की समय सीमा एवं प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी का नाम एवं पता अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायगी । आवेदक से राशन कार्ड निर्गत करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जा सकते हैं :–

(i) आवेदक द्वारा राशन कार्ड हेतु पूर्ण पता सहित आवेदन पत्र,

(ii) परिवार के सदस्यों का नाम एवं उम्र का विवरण से संबंधित शपथ पत्र मूल में,

(iii) परिवार के मुखिया का पहचान पत्र की छायाप्रति,

(iv) पूरे परिवार का नया फोटो – 2 प्रति,

(v) यदि पुराना कार्ड निर्गत था तो उस कार्ड का नंबर ।

विभाग द्वारा नये राशन कार्ड वितरण की योजना विचाराधीन है, परन्तु सेवा देने की गारन्टी योजनान्तर्गत यदि नये राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तब नियत अवधि के भीतर आवेदनकर्त्ता को जाँचोपरांत राशन कार्ड उपलब्ध कराई जायगी । सभी जिलों में पूर्व में आपूर्ति किये गये राशन कार्ड उपलब्ध है जिससे आवेदनकर्त्ताओं को राशन कार्ड दिया जा सकता है ।

अतः इस पत्र के साथ झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक 2011 तथा नियमावली संलग्न की जाती है । अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

अनुलग्नक – यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

30.XI.2011

(राजबाला वर्मा),
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक– 3345 / राँची, दिनांक 01-12-2011.

प्रतिलिपि – सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राजबाला वर्मा),
सरकार के प्रधान सचिव ।

30.XI.2011